

[लोक सभा द्वारा 12.02.2019 को
पारित रूप में]

2019 का विधेयक संख्यांक 5-सी

[दि फाइनेंस बिल, 2019 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2019

आय-कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए
जारी रखने और करदाताओं को कतिपय अनुतोष प्रदान करने
और कतिपय अधिनियमितियों में
संशोधन करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2019 है।
- 5 (2) इस अधिनियम में, यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 2 से धारा 10, 1 अप्रैल, 2019 को प्रवृत्त होंगी।

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर। 2. वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 2 और पहली अनुसूची के उपबंध, 1 अप्रैल, 2018 का 13 2019 को प्रारंभ होने वाले, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए आय-कर के संबंध में, निम्नलिखित उपांतरणों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे 1 अप्रैल, 2018 को 5 प्रारंभ होने वाले, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए आय-कर के संबंध में लागू होते हैं, अर्थात् :—

(क) धारा 2 में,—

(i) उपधारा (1) में, “2018” अंकों के स्थान पर, “2019” अंक रखे जाएंगे; 10

(ii) उपधारा (3) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित 15 अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;”;

(iii) उपधारा (11) और उपधारा (12) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

‘(11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथाविनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, लागू अधिभार 20 द्वारा यथावर्धित आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की आधारभूत शिक्षा तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा 25 उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके’;

(iv) उपधारा (13) और उपधारा (14) को उपधारा (12) और उपधारा (13) के रूप में क्रमशः पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(v) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (13) के खंड (क) में, “2018” अंकों 30 के स्थान पर, “2019” अंक रखे जाएंगे ;

(ख) पहली अनुसूची में,—

(i) भाग 1 के स्थान पर, निम्नलिखित भाग 1 रखा जाएगा, अर्थात् :—

“भाग 1

आय-कर

पैरा क

35

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक

व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 2,50,000 रु से **कुछ नहीं** ;
5 अधिक नहीं है
- (2) जहां कुल आय 2,50,000 रु से उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय अधिक है किंतु 5,00,000 रु से अधिक नहीं 2,50,000 रु से अधिक हो जाती है ;
है
- (3) जहां कुल आय 5,00,000 रु से 12,500 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो 10 अधिक है किंतु 10,00,000 रु से अधिक नहीं जाती है ;
है
- (4) जहां कुल आय 10,00,000 रु से 1,12,500 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु से अधिक हो जाती है।
- (II) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 3,00,000 रु से **कुछ नहीं** ;
अधिक नहीं है
- (2) जहां कुल आय 3,00,000 रु से उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय अधिक है किंतु 5,00,000 रु से अधिक नहीं 3,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;
है
- (3) जहां कुल आय 5,00,000 रु से 10,000 रु धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु से अधिक हो 25 है अधिक नहीं जाती है ;
- (4) जहां कुल आय 10,00,000 रु से 1,10,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु से अधिक हो जाती है।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी 30 समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

- (1) जहां कुल आय 5,00,000 रु से **कुछ नहीं** ;
अधिक नहीं है
- (2) जहां कुल आय 5,00,000 रु से उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 35 अधिक है किंतु 10,00,000 रु से अधिक नहीं 5,00,000 रु से अधिक हो जाती है ;
है
- (3) जहां कुल आय 10,00,000 रु से 1,00,000 रु धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यक्ति-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में,—

(क) जिनकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(ख) जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

- | | | |
|--|--|----|
| (1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है | कुल आय का 10 प्रतिशत ; | 25 |
| (2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किंतु 20,000 रु० से अधिक नहीं है | 1,000 रु० धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है ; | |
| (3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है | 3,000 रु० धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है। | 30 |

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत।

5

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

10

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा घ

15

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर

30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ड

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

30

I. देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां पूर्ववर्ष 2016-2017 में इसका कुल आवर्त या सकल प्राप्ति दो अरब पचास करोड़ रुपए से अधिक न हो

कुल आय का 25 प्रतिशत;

(ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय

कुल आय का 30 प्रतिशत।

35

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए

किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

5

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है

10

50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो

40 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,— 15

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

20

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

“(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

25

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है : 30

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।”;

(ii) भाग 3 के पैरा ड के उपपैरा 1 के खंड (i) में, “पूर्ववर्ष 2016-2017” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “पूर्ववर्ष 2017-2018” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) भाग 4 के नियम 8 में,—

(अ) उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(vi) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है; 5

(vii) 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है; 10

(viii) 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि है, 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी। 15

(2) जहां निर्धारिती की 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभासित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए ऐसी हानि जो,— 25

(i) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ; 30

(ii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ; 40

(iii) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016

के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

5 (iv) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

10 (v) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

15 (vi) 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

20 (vii) 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

25 (viii) 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि है,

30 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी। ”;

(आ) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

35 “(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 का 25) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी। ”।

अध्याय 3
प्रत्यक्ष कर
आय-कर

धारा 16 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम 1961 का 43 कहा गया है) की धारा 16 के खंड (i) [वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 7 द्वारा यथा 5 2018 का 13 अंतःस्थापित] में, “चालीस हजार” शब्दों के स्थान पर, “पचास हजार” शब्द 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे।

धारा 23 का संशोधन।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 23 में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) उपधारा (4) में,—

(i) प्रारंभिक भाग में, “एक से अधिक गृह” शब्दों के स्थान पर, “दो से 10 अधिक गृह” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (क) में, “एक गृह” शब्दों के स्थान पर, “दो गृहों” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ख) में, “उस गृह से भिन्न” शब्दों के स्थान पर, “उस गृह या उन गृहों से भिन्न” शब्द रखे जाएंगे; 15

(ख) उपधारा (5) में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “दो वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 24 का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 24 में, 1 अप्रैल, 2020 से,—

(क) पहले परंतुक में, “कटौती की रकम” शब्दों के स्थान पर, “यथास्थिति, कटौती की रकम या कटौती की रकमों का योग” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दूसरे परंतुक में, “कटौती की रकम” शब्दों के स्थान पर “यथास्थिति कटौती 20 की रकम, या कटौती की रकमों का योग” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि पहले और दूसरे परंतुकों के अधीन, कटौती की रकमों का योग दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।”। 25

धारा 54 का संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किए जाएंगे—

“परंतु जहां पूंजी अभिलाभ की रकम दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां निर्धारिती अपने विकल्प पर, भारत में दो निवास गृह क्रय या संनिर्मित कर सकेगा और जहां ऐसे विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वहां,— 30

(क) इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो “भारत में एक निवास गृह” शब्दों के स्थान पर, “भारत में दो निवास गृह” शब्द रख दिए गए थे;

(ख) इस उपधारा और उपधारा (2) में “नई आस्ति” के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, भारत में दो निवास गृहों के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा : 35

परंतु यह और कि जहां किसी निर्धारण वर्ष के दौरान निर्धारिती ने पहले परंतुक में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग कर लिया है, वहां वह तत्पश्चात् विकल्प का प्रयोग उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए करने का हकदार नहीं होगा।”।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 80अखक की उपधारा (2) के खंड (क) में, "2019" धारा 80अखक का संशोधन।
अंकों के स्थान पर, "2020" अंक 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे।
8. आय-कर अधिनियम की धारा 87क में, 1 अप्रैल, 2020 से—
(क) "तीन लाख पचास हजार" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख" शब्द रखे जाएंगे ;
(ख) "दो हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, "बारह हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे।
9. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) में, "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "चालीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।
10. आय-कर अधिनियम की धारा 194अ के पहले परंतुक में, "एक लाख अस्सी हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख चालीस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

भाग 1

15 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन

11. इस भाग के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। इस भाग का प्रारम्भ।

1899 का 2 12. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

20 (क) खंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

1996 का 22 '(1) "आबंटन सूची" से ऐसी सूची अभिप्रेत है, जिसमें निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन निर्गमकर्ता द्वारा निक्षेपागार को प्रज्ञापित प्रतिभूतियों के आबंटन के ब्यौरे अंतर्विष्ट हों ;

25 (1क) "बैंककार" के अंतर्गत बैंक और बैंककार के रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है ;'

(ख) खंड (5) में, अंत में निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"किंतु इसके अंतर्गत कोई डिबेंचर नहीं है ;"

(ग) खंड (7) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

30 '(7क) "समाशोधन सूची" से इस निमित्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार किसी समाशोधन निगम को प्रस्तुत स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार की गई संविदाओं से संबंधित विक्रय और क्रय के संव्यवहारों की सूची अभिप्रेत है ;

35 (7ख) "समाशोधन निगम" से प्रतिभूतियों या अन्य लिखतों के संव्यवहारों के समाशोधन और व्यवस्थापन के क्रियाकलापों को करने के लिए स्थापित कोई इकाई अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का समाशोधन गृह भी है ;'

(घ) खंड (10) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

‘(10क) “डिबेंचर” के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) डिबेंचर स्टाक, किसी कंपनी का ऐसा बंधपत्र या कोई अन्य लिखत, जो किसी ऋण का साक्ष्य है, चाहे उससे कंपनी की आस्तियों पर कोई भार गठित होता है या नहीं ;

5

(ii) किसी निगमित कंपनी या निगमित निकाय द्वारा निर्गमित डिबेंचर की प्रकृति के बंधपत्र ;

(iii) निक्षेप प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक आवधिक बिल, वाणिज्यिक कागज और एक वर्ष तक की मूल या आरंभिक परिपक्वता वाले ऐसी अन्य ऋण लिखत, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए ;

10

(iv) प्रतिभूतित ऋण लिखतें ; और

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य लिखतें ;

(10ख) “निक्षेपागार” के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड 15 1996 का 22 (ड) में यथापरिभाषित कोई निक्षेपागार ; और

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, निक्षेपागार के रूप में घोषित कोई अन्य इकाई ; ;

(ड) खंड (12) के अंत में, “और इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 11 के अर्थान्तर्गत इलैक्ट्रॉनिक रिकार्ड का 20 2000 का 21 अधिकार भी है” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(च) खंड (14) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘(14) “लिखत” के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) ऐसा प्रत्येक दस्तावेज, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सृष्ट, अंतरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या 25 अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है ;

(ख) किसी स्टाक एक्सचेंज या निक्षेपागार के संव्यवहार के लिए इलैक्ट्रॉनिक या इससे अन्यथा कोई ऐसा दस्तावेज, जिसके द्वारा कोई अधिकार या दायित्व, सृष्ट, अंतरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया 30 जाना तात्पर्यित है ; और

(ग) अनुसूची 1 में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज,

किंतु इसके अंतर्गत ऐसी लिखतें नहीं हैं, जो सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाएं ; ;

(छ) खंड (15) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया 35 जाएगा, अर्थात् :—

‘(15क) “निर्गमकर्ता” से प्रतिभूतियों का निर्गम करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ; ;

(ज) खंड (16क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

‘(16क) “विपण्य प्रतिभूति” से ऐसी प्रतिभूति अभिप्रेत है जो भारत में किसी स्टाक एक्सचेंज में व्यापार किए जाने योग्य है ;

(16ख) “बाजार मूल्य” से, किसी ऐसी लिखत के संबंध में, जिसके माध्यम से,—

(क) किसी स्टाक एक्सचेंज में किसी प्रतिभूति का व्यापार किया जाता है, ऐसी कीमत अभिप्रेत है, जिस पर उसका इस प्रकार व्यापार किया जाता है ;

(ख) कोई प्रतिभूति, जिसका किसी निक्षेपागार के माध्यम से अंतरण किया जाता है, किंतु स्टाक एक्सचेंज में व्यापार नहीं किया जाता है, ऐसी लिखत में वर्णित कीमत या प्रतिफल अभिप्रेत है ;

(ग) किसी प्रतिभूति का, जिसे स्टाक एक्सचेंज या निक्षेपागार से भिन्न किसी स्थान में व्यवहृत किया जाता है, ऐसी लिखत में वर्णित कीमत या प्रतिफल अभिप्रेत है ;’

(झ) खंड (23) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(23क) “प्रतिभूतियों” के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथा परिभाषित प्रतिभूतियां ;

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 के खंड (क) में यथा परिभाषित कोई “व्युत्पन्नी” ;

(iii) निक्षेप प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक आवधिक बिल, वाणिज्यिक कागज, निगम बंधपत्र पर रेपो और एक वर्ष तक की मूल या आरंभिक परिपक्वता वाली ऐसी अन्य ऋण लिखत, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए; और

(iv) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कोई अन्य लिखत ;’

(ञ) खंड (26) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘(27) “स्टाक एक्सचेंज” के अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में यथा परिभाषित कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज ; और

(ii) प्रतिभूतियों में ब्यौहार हेतु व्यापार करने या रिपोर्ट करने हेतु ऐसा अन्य प्लेटफार्म, जिसे केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।’

धारा 4 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूतियों के किसी निर्गम, विक्रय या अंतरण की दशा में, ऐसी लिखत, जिस पर धारा 9क के अधीन 5 स्टांप शुल्क प्रभार्य है, इस धारा के प्रयोजन के लिए मूल लिखत होगी और किसी ऐसे संव्यवहार से संबंधित किन्हीं अन्य लिखतों पर कोई स्टांप शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा।”।

धारा 8क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

14. मूल अधिनियम की धारा 8क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

निक्षेपागार में व्यवहृत प्रतिभूतियों का स्टांप शुल्क के लिए दायी न होना।

‘8क. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए 10 भी,—

(क) कोई निर्गमकर्ता, एक या अधिक निक्षेपागारों को प्रतिभूतियों का निर्गमन करके, ऐसे निर्गम की बाबत, अपने द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों की कुल रकम पर शुल्क से प्रभार्य होगा और ऐसी प्रतिभूतियों को स्टांपित करने की आवश्यकता नहीं होगी ; 15

(ख) किसी व्यक्ति से किसी निक्षेपागार को या किसी निक्षेपागार से किसी फायदाग्राही स्वामी को प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रीकृत स्वामित्व का अंतरण शुल्क के लिए दायी नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “फायदाग्राही स्वामित्व” पद का वही अर्थ होगा, जो निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के 20 1996 का 22 खंड (क) में उसका है ।।

नए भाग कक का अंतःस्थापन।

15. मूल अधिनियम के अध्याय 2 में, “लिखतों का शुल्क के बारे में दायित्व” से संबंधित भाग क के पश्चात्, निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

‘कक—स्टाक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों में संव्यवहार लिखतों का शुल्क के बारे में दायित्व 25

स्टाक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों में संव्यवहारों के लिए शुल्क से प्रभार्य लिखतें।

9क. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) जब किन्हीं प्रतिभूतियों का विक्रय, चाहे परिदान आधारित हो या उससे अन्यथा, किसी स्टाक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है, तो समाशोधन सूची में के प्रत्येक ऐसे विक्रय पर स्टांप शुल्क का संग्रहण, उसके क्रेता से, स्टाक एक्सचेंज द्वारा राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत समाशोधन निगम की ओर से 30 ऐसे क्रेता की प्रतिभूतियों के संव्यवहार के व्यवस्थापन के समय ऐसी प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर स्टाक एक्सचेंज द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा उपबंधित करे ;

(ख) जब किसी प्रतिफल के लिए प्रतिभूतियों का अंतरण, चाहे परिदान आधारित हो या उससे अन्यथा, किसी निक्षेपागार द्वारा खंड (क) में निर्दिष्ट किसी 35 संव्यवहार से भिन्न आधार पर किया जाता है तो निक्षेपागार द्वारा राज्य सरकार की ओर से ऐसे अंतरण पर स्टांप शुल्क का संग्रहण ऐसी प्रतिभूतियों के अंतरक से, उसमें विनिर्दिष्ट प्रतिफल की रकम पर, ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा उपबंधित करे, किया जाएगा ;

(ग) जब किसी निक्षेपागार के अभिलेखों में प्रतिभूतियों के निर्गमन के 40 अनुसरण में, कोई सृजन या परिवर्तन किया जाता है, तो आबंटन सूची पर स्टांप